

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविस-माध्य/बजट/बी 4/25577/2019-20/

दिनांक :- 06/08/2020

प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक कम पीईईओ समस्त।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य निधि अन्तर्गत लेखामदों के समन्वयन/परिवर्तन के पश्चात् नवीन लेखामदों से वेतन आहरण के सम्बन्ध में।

प्रारंग :- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.01(3)प्रा.शि./आयो./2019 दिनांक 31.01.2020

—0—

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक आदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य निधि (आयोजना) से संबंधित लेखामदों में स्वीकृत पदों को राज्य निधि-प्रतिबद्ध (आयोजना भिन्न) से संबंधित निम्नलिखित लेखामदों में समाहित किया गया है। उसी अनुसार कॉलम संख्या 4 में वर्णित नवीन लेखामदों में सभी पीईईओ को बजट का आवंटन भी जारी कर दिया गया है।

क्र.स.	मांग संख्या	पूर्व लेखामद	परिवर्तित लेखामद
1	2	3	4
1	24	2202-01-101-01-00 (राज्य निधि)	2202-01-101-07-01 (राज्य निधि)
2	24	2202-01-101-02-00 (राज्य निधि)	2202-01-101-08-01 (राज्य निधि)
3	24	2202-01-197-01-01 (राज्य निधि)	2202-01-197-01-02 (राज्य निधि)
4	24	2202-01-197-02-01 (राज्य निधि)	2202-01-197-02-02 (राज्य निधि)
5	24	2202-01-197-03-01 (राज्य निधि)	2202-01-197-03-02 (राज्य निधि)
6	30	2202-01-197-08-01 (राज्य निधि)	2202-01-197-08-02 (राज्य निधि)
7	30	2202-01-197-09-01 (राज्य निधि)	2202-01-197-09-02 (राज्य निधि)

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माह अप्रैल, 2020 का वेतन देय सितम्बर, 2020 से कॉलम संख्या 4 के अनुसार परिवर्तित लेखामदों से वेतन आहरण किया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्न-उपर्युक्तानुसार।

वित्तीय सलाहकार,